**डिस्कलेमर**

**आदेश संख्या 14/2024-25 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।**

ऐरा/20019/सी.जी.एफ.-जी/2010-11/वॉल्यूम- IX

**भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण**

*****

**आदेश संख्या 14/2024-25**

ऐरा कार्यालय,
तृतीय तल, उड़ान भवन
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली-110003

**जारी करने की तारीख: 22.11.2024**

| | | |
|---|---|---|
| **सेवा** | : | **कार्गो हैंडलिंग सेवाएं** |
| **सेवा प्रदाता** | : | **ए.ए.आई.सी.एल.ए.एस** |
| **हवाईअड्डा** | : | **(i) देवी अहिल्याबाई होल्कर हवाईअड्डा, इंदौर** |
| | | **(ii) कोयम्बटूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोयम्बटूर** |
| | | **(iii) वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, पोर्ट ब्लेयर** |
| **हवाईअड्डा प्रचालक** | : | **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण** |

**विषय: मैसर्स एएआईसीएलएएस द्वारा इन्दौर, कोयम्बटूर और पोर्ट ब्लेयर के तीन प्रमुख हवाईअड्डों पर प्रदान की जाने वाली कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण।**

**<u>एएआईसीएलएएस की प्रस्तुति</u>**

1. एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (एएआईसीएलएएस), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो भारत में विमानन कार्गो का कारोबार करती है। एएआई ने अपने कार्गो सेगमेंट को एएआईसीएलएएस नामक एक कार्यात्मक और प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र संगठन से पृथक कर निगमित कर लिया तथा 11 अगस्त, 2016 को इसे एक अलग कंपनी के रूप में शामिल किया है। वर्तमान में एएआईसीएलएएस भारत के पंद्रह (15) 'प्रमुख हवाईअड्डों' पर कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान कर रही है।



2. एएआईसीएलएएस ने दिनांक 10.05.2024 के पत्र द्वारा प्राधिकरण को सूचित किया कि एएआईसीएलएएस निम्नलिखित तीन हवाईअड्डों पर कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान कर रही है:

(i) देवी अहिल्याबाई होल्कर हवाईअड्डा, इंदौर
(ii) कोयम्बटूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोयंबटूर
(iii) वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, पोर्ट ब्लेयर

3. एएआईसीएलएएस ने अपने उपर्युक्त पत्र में कहा कि वर्तमान में गैर-प्रमुख हवाईड्डों के लिए लागू टैरिफ इंदौर, कोयम्बटूर और पोर्ट ब्लेयर हवाईअड्डों पर लागू की जा रही है। एएआईसीएलएएस ने बताया कि उपर्युक्त सभी हवाईअड्डों पर इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) तैयार किया जा रहा है और इसे नियमित टैरिफ निर्धारित करने के लिए प्राधिकरण को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

4. इस बीच, मैसर्स एएआईसीएलएएस ने प्राधिकरण से अनुरोध किया कि वह इन हवाईअड्डों पर प्रचलित टैरिफ को अपने कार्गो प्रचालनों के लिए तदर्थ टैरिफ के रूप में अनुमोदित करे।

**<u>प्राधिकरण की जांच</u>**

5. प्राधिकरण नोट करता है कि एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (एएआईसीएलएएस) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो पंद्रह (15) प्रमुख हवाईअड्डों पर कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान कर रही है।

6. एएआईसीएलएएस के प्रस्ताव की प्रारंभिक समीक्षा करने पर प्राधिकरण ने पाया कि स्वतंत्र सेवा प्रदाता (आईएसपी) ने केवल अंतरदेशीय कार्गो सेवाओं के लिए टैरिफ दरें प्रस्तुत की हैं और अंतरराष्ट्रीय कार्गो सेवाओं एवं एक्स-रे स्क्रीनिंग तथा प्रमाणन प्रभार आदि के लिए टैरिफ दरें प्रस्तुत नहीं की हैं। इसके अतिरिक्त ऐरा ने दिनांक 14.05.2024 की ईमेल के माध्यम से एएआईसीएलएएस से निम्नलिखित अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने का अनुरोध किया:

(i) बीसीएएस से प्राप्त सुरक्षा अनुमति।
(ii) प्रचलित टैरिफ के संबंध में नागर विमानन मंत्रालय का अनुमोदन (अर्थात इन हवाईअड्डों पर गैर-प्रमुख हवाईअड्डों के समान लागू टैरिफ)।
(iii) इन हवाईअड्डों पर एएआईसीएलएएस के प्रचालन संबंधी स्थिति अर्थात बीसीएएस के अनुसार 'विनियमित/ गैर-विनियमित एजेंट'

7. ऐरा के प्रश्नों के जवाब में, एएआईसीएलएएस ने दिनांक 10.06.2024 की ईमेल के माध्यम से इंदौर, कोयम्बटूर और पोर्ट ब्लेयर हवाईअड्डों पर एएआईसीएलएएस के कार्गो हैंडलिंग प्रचालनों की सुरक्षा अनुमति के संबंध में नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) द्वारा जारी पत्रों की प्रतियां प्रस्तुत कीं। प्राधिकरण ने नोट किया कि बीसीएएस ने एएआईसीएलएएस को तीनों हवाईअड्डों के संबंध में सुरक्षा अनुमति प्रदान कर दी है, जो पत्र जारी किए जाने की तारीख से पांच (05) वर्ष की अवधि के लिए या बीसीएएस के अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, वैध है।

वर्तमान में, इन हवाईअड्डों के लिए बीसीएएस द्वारा दी गई सुरक्षा अनुमति की वैधता नीचे दी गई तालिका के अनुसार है:

| क्र. सं. | हवाईअड्डों का नाम | सुरक्षा अनुमति की वैधता |
|---|---|---|
| 1 | देवी अहिल्याबाई होल्कर हवाई अड्डा, इंदौर | 22.05.2028 |
| 2 | कोयम्बटूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोयंबटूर | 17.01.2028 |
| 3 | वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पोर्ट ब्लेयर | 12.07.2027 |

8. एआईसीएलएएस ने आगे बताया कि वर्तमान में वह बीसीएएस के मानदंडों के अनुसार एक 'विनियमित एजेंट' के रूप में काम कर रही है और उपर्युक्त तीनों हवाईअड्डों पर अंतरदेशीय कार्गो हैंडलिंग सेवाएं और इंदौर तथा कोयम्बटूर हवाईअड्डों पर अंतरराष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान कर रही है।

9. एआईसीएलएएस की प्रस्तुति से प्राधिकरण नोट करता है कि वर्तमान में एआईसीएलएएस इंदौर, कोयम्बटूर और पोर्ट ब्लेयर हवाईअड्डों पर इसकी कार्गो हैंडलिंग सेवाओं (अंतरदेशीय/अंतरराष्ट्रीय सेवाओं) के लिए वही टैरिफ वसूल कर रही है, जो एआई के गैर-प्रमुख हवाईअड्डों पर एआईसीएलएएस के प्रचालनों के लिए लागू है। इस संबंध में एआईसीएलएएस ने दिनांक 21.06.2024 की ईमेल के माध्यम से बताया कि नागर विमानन मंत्रालय (मोका) के निर्णय के अनुसार, एआई द्वारा प्रबंधित गैर-प्रमुख हवाईअड्डों पर कार्गो टैरिफ में कोई भी संशोधन करने का निर्णय एआई द्वारा लिया जाना है।

10. इसके बाद स्वतंत्र सेवा प्रदाता (आईएसपी) ने विभिन्न ईमेल के माध्यम से गैर-प्रमुख हवाईअड्डों पर अपनी अंतरदेशीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में एआईसीएलएएस के लिए एआई द्वारा अनुमोदित टैरिफ साझा की। यह ध्यान में आया है कि एआईसीएलएएस अंतरदेशीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के मामले में समेकित प्रभार अर्थात, 'टीएसपी प्रभार' लगा रही है, जिसमें एक्स-रे मशीन उपयोग प्रभार, स्क्रीनिंग और प्रमाणन प्रभार तथा लोडिंग/अनलोडिंग प्रभार आदि शामिल हैं, जो विभिन्न हितधारकों द्वारा विभिन्न शीर्षों के शुल्कों के समेकन और टैरिफ दर कार्ड के सरलीकरण के लिए की गई अपेक्षा/मांग के अनुरूप भी है।

11. अंतरराष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए नवीनतम टैरिफ दरें प्रस्तुत न करने से संबंधित ऐरा की टिप्पणी के जवाब में (पैरा 6), एआईसीएलएएस ने सूचित किया (दिनांक 03.07.2024 की ई-मेल) कि एआई द्वारा पूर्व में दिनांक 30.06.2020 के पत्र संख्या एआईसीएलएएस/गैर ऐरा/1351/17/2020/1164 द्वारा अनुमोदित टैरिफ दरें गैर-प्रमुख हवाईअड्डों पर उनके अंतरराष्ट्रीय कार्गो प्रचालन के लिए अभी भी लागू है।

12. इसके अलावा, एयर फ्रेट स्टेशन (एएफएस) के बारे में ऐरा के प्रश्न के जवाब में एआईसीएलएएस ने दिनांक 03.07.2024 की ईमेल के माध्यम से कहा कि "उपर्युक्त हवाईअड्डों पर एएफएस कार्गो का संचलन नहीं किया जाता है। भविष्य में, यदि इन हवाईअड्डों पर एएफएस कार्गो का संचलन किया जाएगा, तो एएफएस के संबंध में एआईसीएलएएस की निकटवर्ती कार्गो सुविधा की स्वीकृत दरें लगाई जाएंगी"।

परंतु, प्राधिकरण ने नागर विमानन मंत्रालय की एएफएस नीति को ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए टैरिफ दर कार्ड में एएफएस कार्गो (सामान्य कार्गो की तुलना में) के लिए 30% कम टीएसपी प्रभार को अधिकार देने वाले प्रावधान के रूप में माना है, जिसे एआईसीएलएएस द्वारा एएफएस कार्गो के लिए कार्गो हैंडलिंग सेवाएं शुरू करने पर लागू किया जाएगा।

13. प्राधिकरण, एआईसीएलएएस के अनुरोध की जांच करने के बाद यह महसूस करता है कि इंदौर, कोयंबटूर और पोर्ट ब्लेयर हवाईअड्डों के संबंध में नियमित टैरिफ निर्धारित करने के लिए बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) प्रस्तुत करने में कुछ समय लगेगा।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए अंतरिम उपाय के रूप में प्राधिकरण एआईसीएलएएस को इस आदेश के जारी होने की तारीख से 31.03.2025 तक, या इंदौर, कोयम्बटूर और पोर्ट ब्लेयर हवाईअड्डों पर कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, संलग्नक-I और II के अनुसार उपर्युक्त तीनों हवाईअड्डों पर कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए प्रचलित टैरिफ लगाने की अनुमति देने का निर्णय लेता है।

**आदेश**

रिकॉर्डों में उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि :

(i) मैसर्स एएआईसीएलएएस को इंदौर, कोयम्बटूर और पोर्ट ब्लेयर हवाईअड्डों पर इस आदेश के जारी होने की तारीख से 31.03.2025 तक या इन हवाईअड्डों के लिए कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, संलग्नक -I और II के अनुसार अंतरदेशीय/अंतरराष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ आधार पर टैरिफ लगाने की अनुमति दी जाती है।

(ii) ऊपर बताए अनुसार अनुमोदित टैरिफ कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के प्रयोक्ताओं से वसूले जाने वाले अधिकतम प्रभार होंगे। अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार नहीं लगाया जाए।

(iii) इसमें ऊपर निर्धारित टैरिफ में लागू कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

(iv) स्वतंत्र सेवा प्रदाता नियमित टैरिफ निर्धारित करने के लिए इस आदेश के जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर एमवाईटीपी प्रस्तुत करेगा।

(v) हवाई अड्डा प्रचालक मैसर्स एएआईसीएलएएस के लिए इंदौर, कोयम्बटूर और पोर्ट ब्लेयर हवाईअड्डों से संबंधित अनुमोदित टैरिफ सभी हितधारकों की जानकारी के लिए अपनी अधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा।

(vi) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(सुयश नारायण)
सचिव

**सेवा में**

श्री अजय भारद्वाज (मुख्य कार्यपालक अधिकारी), एएआईसीएलएएस,
एएआईसीएलएस परिसर, डेल्ही फ्लाईंग क्लब रोड़,
सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003

**प्रति सूचनार्थ:**

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003
2. अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003
3. हवाईअड्डा निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, देवी अहिल्या बाई होल्कर हवाईअड्डा, इंदौर
4. हवाईअड्डा निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, कोयम्बटूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोयम्बटूर
5. हवाईअड्डा निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, पोर्ट ब्लेयर